न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र 43 / 2022(2022 / 175)

1. श्रीमति रामनिवासी पत्नी स्वर्गीय श्री फतेहराज।
2. राजेन्द्र पुत्र स्वर्गीय श्री फतेहराज दोनो जाति मीणा निवासीगण ग्राम नाईखेडा तहसील केकडी जिला अजमेर।

––प्रार्थीगण

वनाम

1. बृजराज पुत्र श्री रूघनाथ।
2. बनवारी पुत्र श्री ब्रजराज।
3. मंगली पत्नी श्री रामलाल।
4. रामलाल पुत्र श्री रूघनाथ।
5. लखन पुत्र ब्रजराज।
6. विकम पुत्र ब्रजराज।
7. हंसराज पुत्र ब्रजराज समस्त जाति मीणा निवासीगण ग्राम नाईखेडा तहसील केकडी जिला अजमेर।

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–1. श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड – वकील प्रार्थीगण
पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार केकडी

–:आदेशः–

दिनांक–27.10.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है ग्राम नाईखेडा तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित आराजीयात का विवरण निम्न प्रकार है।

खाता संख्या नया	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
221–202	278	2.62	नहरी 2
	किता 1	रकबा 2.62हैक्टर	
153–146	276 277 294	0.06 0.10 0.54	बारानी 3 बारानी 3 नहरी 1
	किता 3	रकबा 0.70हैक्टर	

वादीगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष एक अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अधीन अप्रार्थीगण व अन्य के विरूद्व पेश कर रखा है जो विचाराधीन है अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में दिनांक 5.7.2021 को माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम व्यादेश जारी कर निम्न वर्णित वादग्रस्त भूमि की आगामी दिनांक तक रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश जारी कर रखे है उपरोक्त वर्णित आराजीयात संयुक्त खातेदार है तथा भूमि संयुक्त कब्जे काश्त स्वामित्व मे चली

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (जिला–अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

आ रही है उक्त आराजीयात में प्रार्थीगण एवं अन्य का प्रत्येक का हिस्सा 1/12 हिस्सा निहित है अर्थात कुल भूमि में 1/3 हिस्सा निहित है इसी प्रकार वादपत्र के पैरा संख्या 3 में वर्णित भूमि में प्रार्थीगण एवं अन्य का प्रत्येक का 1/12 हिस्सा निहित है अर्थात कुल भूमि में 1/3 हिस्सा निहित है उक्त आराजीयात का आज दिनांक तक विभाजन नही हुआ है पैरा संख्या 2 में वर्णित भूमि के राजस्व रेकार्ड जमावन्दी में फूली पत्नी रूघनाथ का स्वर्गवास हो चुका है तथा उसके वारिसान ब्रजराज, रामलाल का नाम पूर्व में ही राजस्व रिकोर्ड में जमाबंदी में दर्ज है प्रार्थीगण एवं अन्य का कुल 1/3 हिस्सा निहित है जिसका विभाजन कराने का प्रार्थीगण को विधिक हक व अधिकार प्राप्त है अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात को बगैर विभाजन कराये भूमि को नष्ट करने के लिऐ खडडे कर अनुपयोगी बनाकर नष्ट करने को आमादा है अधिक उपजाउ तथा अधिक कीमती भूमि को अवैध रूप से कब्जा करने तथा प्रार्थीगण को जबरन बेदखल कर अन्य को विकय करने की धमकी दे रहे है इस प्रकार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य उक्त वादग्रस्त भूमि के कब्जे को लेकर गंभीर विवाद है प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं के हिस्से की 1/3 हिस्से की भूमि काश्त नही करने देने से गंभीर नुकसान पहुचने का खतरा है साथ ही न्यायालय के अन्तरित व्यादेश की पालना भी नही कर रहे है अप्रार्थीगण न्याय के उदेश्य के विफल करने के अनुकम में उक्त सम्पति को नष्ट भ्रष्ट करने व व्ययन करने की धमकी दे रहे है इस कारण वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि पर श्रीमान तहसीलदार साहब को रिसीवर नियुक्त किया जाने आवश्यक न्यायोचित है अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का आदेश फरमाने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण बवजूद सम्मन तामिली अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी गई। बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर रिसीवर नियुक्त किये जाने का स्कोप सीमित है अतः रिसीवर नियुक्त किया जाना न्यायालय को उचित प्रतित नही होता है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

Scanned with OKEN Scanner